राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 844/2016
ज्वार सिंह मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की नियुक्ति सांख्यिकी अधिकारी के पद पर मार्च, 1991 में हुई थी एवं अपीलार्थी ने दिनांक 13.03.1991 को कार्य ग्रहण किया। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक निदेशक के पद पर वर्ष 1995–96 की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी। इसके उपरान्त अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 1998–99 की रिक्तियों के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर की गयी। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनाँक 21 मई, 2012 को दिनाँक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार पदस्थापन सूची जारी की गई, जिसमें उप निदेशक के पद पर अपीलार्थी का नाम कम सं0–19 पर है तथा भँवरलाल बैरवा, ओमप्रकाश माँजू तथा ज्योति माथुर का अपीलार्थी से नीचे नाम अंकित है तथा अपीलार्थी से वरिष्ठ बाबूराम कटारा व देशराज मीणा का नाम अंकित है। पूर्व में बाबूराम (बाबूलाल) कटारा की पदोन्नति संयुक्त निदेशक के पद पर की गई थी, परन्तु आदेश दिनाँक 18.03.2015 द्वारा राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियमों के अनुसार संयुक्त निदेशक पद की विभागीय पदोन्नति समिति की दिनाँक 22.02.2015 को आयोजित रिव्यु/नियमित बैठक में की गई अनुशंषा अनुसार चयन उपरान्त संयुक्त निदेशक के पद पर ग्रेड पे–7200 में वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध बाबूलाल कटारा व देशराज मीणा को पदोन्नत किया गया व अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जाँच विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थी

का लिफाफा बन्द रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध किया जाना था परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी पर विचार नहीं कर अपीलार्थी को बन्द लिफाफे में नियम विरूद्ध तरीके से रखा गया। वर्ष 2009–10 में अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की जांच लम्बित नहीं थी। अपीलार्थी को दिनांक 31.05.2011 को आरोप पत्र जारी किया गया, जिससे पूर्व अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की जांच विचाराधीन नहीं थी। उनका तर्क है कि जिस वर्ष के लिये पदोन्नति पर विचार किया जाता है उस वर्ष की 1 अप्रैल से पूर्व की ही जांच को विचार में रखा जा सकता है। 1 अप्रैल, 2009 तक अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच विचाराधीन नहीं थी। ऐसे में पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.02.2015 के समय अपीलार्थी को पदोन्नति वर्ष के पश्चातवर्ती विभागीय जांच के कारण विचार में नहीं रखा गया और अपीलार्थी का प्रकरण बन्द लिफाफे में रखा गया, जो गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (1991) 4 सुप्रीम कोर्ट कैसेज 109 यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य बनाम के. वी. जानकीरमन एवं अन्य प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि शीलकवर पर कार्यवाही केवल मात्र चार्जशीट जारी होने के बाद ही की जा सकती है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि संयुक्त निदेशक पद की वर्ष 2009–2010 से वर्ष 2011–2012 की पुनः रिव्यु डीपीसी दिनांक 22–02–2015 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी श्री ज्वार सिंह मीणा की पदौन्चति की अनुशंषा वर्ष 2011–2012 में 'सील कवर अनुशंषा को वर्ष 2009–2010 के लिए यथावत रखा गया। संयुक्त निदेशक के पदों के विरूद्ध आयोजित रिव्यु डीपीसी दिनांक 27–11–2012 में अपीलार्थी श्री ज्वार सिंह मीणा तात्कालीक परियोजना अर्थशास्त्री (प्रभारी अधिकारी जलग्रहण) जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, चुरू के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 31–05–2011 के द्वारा आरोप पत्र जारी किये जाने के कारण वर्ष 2011–2012 में अपीलार्थी की पदोन्नति की अभिशंषा सील कवर की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यु डीपीसी दिनांक 22–02–2015 में अपीलार्थी श्री ज्वार सिंह मीणा का संयुक्त निदेशक के पद पर पदौन्नति की अभिशंषा को समिति द्वारा सील कवर किया गया। विचाराधीन जांच समाप्ति

के पश्चात् अपीलार्थी की पदौन्नति का प्रकरण कार्मिक विभाग को प्रेषित किया गया। कार्मिक विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसार अपीलार्थी श्री ज्वार सिंह मीणा की वर्ष 2009–2010 की सील कवर अनुशंषा को रिव्यु किये जाने हेतु डीपीसी की बैठक आयोजित करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 04–07–2016 को पत्र लिखा गया। राजस्थान लोक आयोग, अजमेर से इस प्रकरण में रिव्यु डीपीसी की कोई तिथि अब तक प्राप्त नही हुई है। रिव्यु डीपीसी के पश्चात् ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। कार्मिक विभाग से अपीलार्थी का प्राप्त एसीआर डोजियर के अनुसार अपीलार्थी श्री ज्वार सिंह मीणा के वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2015–2016 तक के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त है। अपीलार्थी नें रिव्यु डीपीसी दिनांक 22–02–2015 के पश्चात सील कवर अनुशंषा के संबंध में इससे पूर्व में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नही किया। अपीलार्थी के द्वारा दण्डादेश दिनांक 21–05–2015 के विरूद्ध पुनरावलोकन याचिका दायर की गई। जिसको गुणावगुण पर निर्णय करते हुए आदेश दिनांक 19.02.2016 को पुनरावलोकन याचिका आधारहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी।

3. हमनें उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। प्रत्यर्थी विभाग ने इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं की है कि वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित डीपीसी दिनांक 22.02.2015 में अपीलार्थी को इस कारण से विचार में नहीं रखा गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होना माना गया और इस कारण से अपीलार्थी का मामला बन्द लिफाफे में रखा गया है। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के समय अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच विचाराधीन नहीं थी और इस तथ्य पर कोई आपत्ति भी प्रत्यर्थी विभाग ने नहीं की है। स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 31.05.2011 को जारी किया गया है जो डीपीसी की गयी थी वह वर्ष 2009–10 के लिये की गयी थी। ऐसे में स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 के समय कोई जांच विचाराधीन नहीं थी। अतः वर्ष 2009–10 की डीपीसी में अपीलार्थी के सम्बन्ध में मामला बन्द लिफाफे में रखा जाना उचित नहीं था।

4. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि संयुक्त निदेशक के पद पर वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाए और अपीलार्थी के मामले को विचार

में रखा जाए। यदि अपीलार्थी को वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु योग्य माना जाता है तो उसे पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए और अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)